

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर(भीलवाडा)

हरजी पिता नन्दा रेगर नि. कानावतों का खेडा

बनाम

गजेन्द्र सिंह पिता जवानसिंह राजपूत नि. कानावतों का खेडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 70 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
12.04.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कानावतो का खेडा प. ह. खजुरी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 14, 15, 17, 61 कुल किता 04 रकबा 1.3516 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम कानावतो का खेडा प. ह. खजुरी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 14, 15, 17, 61 कुल किता 04 रकबा 1.3516 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक खजुरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर (भीलवाडा)</p>	

सजस्थान=सरकार-

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
कमांक / रीडर / 2023 / 70 / 2023 दिनांक :- 12.04.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 70 / 23 अनवान हरजी पिता नन्दा रेगर नि. कानावतों का खेडा बनाम गजेन्द्र, राजेन्द्र पिता जवान सिंह, सुगनी पत्नि पप्पूदास वैष्णव नि. कानावतो का खेडा, भूरी पुत्री भवानी शंकर कलाल नि. खजुरी, मांगीलाल पिता नन्दा गुर्जर, शंकर पिता गोपीदास वैष्णव, गोपाल, नाना, शंकर, हाथीराम पिता देवा गुर्जर, छोटी पत्नि देवा गुर्जर, भैरू, जेता पिता खेमा गुर्जर, गुलाब, जवान, रतन, स्वरूप पिता ज्वार सिंह राजपूत, त्रिलोक पिता भूरालाल महाजन नि. कानावतो का खेडा, प्रेमचन्द्र, सोहनलाल पिता भूरालाल महाजन नि. खजुरी, प्रभु मांगी, शान्ति पिता लादू भीणा नि. कानावतो का खेडा, श्रवण पिता देवी रेगर नि. खजुरी वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम कानावतो का खेडा प. ह. खजुरी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 14, 15, 17, 61 कुल किता 04 रकबा 1. 3516 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजुरी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)